



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

पत्रांक : 003 / 2019 / 323 / AC-30(1)
दिनांक : 12.09.2019

सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों को सूचित किया जाता है कि विद्या-परिषद की आगामी (30वीं) बैठक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित करना प्रस्तावित है। आपसे अनुरोध कि अपने विद्यापीठ/विभाग/केंद्र के निकायों की बैठक दिनांक 27.09.2019 तक संपन्न कराकर बैठक का कार्यवृत्त कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि उसे विद्या-परिषद की आगामी (30वीं) बैठक में विचारार्थ रखा जा सके।

साथ ही समस्त विद्यापीठों/विभागों/केंद्रों/क्षेत्रीय केंद्रों के प्रमुख, अकादमिक संयोजक, सहायक कुलसचिव (स्थापना), सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) तथा परीक्षा प्रभारी से अनुरोध है कि विद्या-परिषद की 29वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में आपके विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण, आगामी बैठक में प्रस्तावित मुद्दों का विवरण आवश्यक संलग्नक एवं टिप्पणी सहित दिनांक 27.09.2019 तक कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रति : सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति महोदय
2. संबंधित पत्रावली